

06⁰⁶/₂₃ आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। वादी के वकील द्वारा प्राप्ति-पत्र आदेश 23 नियम 01 व 3 जांच की पर बफस सुनी गई। वादी के वकील द्वारा अपनी बफस पर विवेकानुसंधि गया कि उम्ह-प्रकार से दावा में कर कानूनी कर्मिया रह गई तथा वाफ-पत्र में वांछित आराजी खाली की बहल गये हैं इसलिए उक्त वाफ-पत्र को परामिशन के साथ वापिस करने का आदेश निवेदन किया है।

उम्हारे द्वारा वकील वादी की बफस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा वकील की बहल पर मनन किया गया। अतः प्राप्ति-पत्र स्वीकार किया जा रहा है। व वादी को नया वाफ पेश करने की शर्त प्रदान की जाती है। पत्रावली के कुल श्रमाट होकर नम्बर से कम हो। वाफ पत्र दाखिल दफतर है।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (असल) राज 0